राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/उदय/2010 जयपुर, दिनांक : 2 8 SEP 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
उदयपुर।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सार्वजनिक कुएं एवं बावडियों के जीर्णोद्वार कार्य करवाये जाने बाबत।**

संदर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक एफ/जिपउ/ग्राविप्र/महात्मा गांधी नरेगा/2010–11/6659 दिनांक 16.09.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि योजनान्तर्गत परम्परागत जल स्त्रोतों का जीर्णोद्वार/नवीनीकरण जिसमें तालाबों से गाद (मिटटी) निकालने का कार्य सम्मिलित है, अनुमत कार्यों की सूची में सम्मिलित है। बावडी एवं कुएं परम्परागत जल स्त्रोतों की परिभाषा में सम्मिलित होते है। अतः इनकी गाद निकालना योजनान्तर्गत अनुमत है, परन्तु कुओं को गहरे करने का कार्य इसमें सम्मिलित नही माना जा सकता है।

अतः योजनान्तर्गत बावडी/पुराने कुओं के जीर्णोद्वार/नवीनीकरण के कार्य कराये जा सकते है, परन्तु गहरे कराने का कार्य नही कराये जा सकते है। इस तरह के कार्य कराये जाते समय सुरक्षा उपायों का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावें।

भवदीय
27/9/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, समस्त (उदयपुर जिले को छोडकर)।
2. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस